



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226349
CG-DL-E-01042021-226349

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1332]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943

No. 1332]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

आय-कर

का.आ. 1443(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम, 1962 ("नियम") के नियम 2ग के उपनियम (1) के खंड (i) उप-नियम (5) और उपनियम (6) का नियम के नियम 5गक के उप-नियम (1), उप-नियम (5) और उपनियम (6), नियम 11कक के उपनियम (1) के खंड (क) उपनियम (5) और उपनियम (6) और नियम 17क के उपनियम (1) के खंड (i) उपनियम (5) और उपनियम (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक आय-कर (केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्र) बेंगलूरु एवं आय-कर आयुक्त (छूट) बेंगलूरु को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

- (i) नियम के नियम 2ग के उपनियम (1) खंड (i), नियम के नियम 5गक के उपनियम (1), नियम के नियम 11कक के उपनियम (1) के खंड (क) या नियम के नियम 17क के उपनियम (1) के खंड (क) या नियम के नियम (1) के खंड (i) के अधीन प्ररूप 10क में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण, या रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम अनुमोदन या अनुमोदन या सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए;

- (ii) नियम के नियम 2ग के उपनियम (5), नियम के नियम 11कक के उपनियम (5) या नियम के नियम 17क के उपनियम (5) के अधीन प्ररूप 10कग में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम अनुमोदन या अनुमोदन, प्रदान करने वाला आदेश पारित करने के लिए;
- (iii) नियम के नियम 2ग के उपनियम (5), नियम के नियम 5गक के उपनियम (5), नियम के नियम 11कक के उपनियम (5) या नियम के नियम 17क के उपनियम (5) के अधीन आवेदकों को विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या (यूआरएन) जारी करने के लिए।
- (iv) प्ररूप 10कग में अनुदत्त अनुमोदन और नियम के नियम 2ग के उपनियम (6) नियम के नियम 5गक के उपनियम (6), नियम के नियम 11कक के उपनियम (6) या नियम के नियम 17क के उपनियम (6) के अधीन विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या (यूआरएन) को रद्द करने के लिए।

2. यह संशोधन राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

[अधिसूचना सं. 30 / 2021/फा.सं. 370142/4/2021-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2021

INCOME – TAX

S.O. 1443(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1), sub-rule (5) and sub-rule (6) of rule 2C of the Income tax Rules, 1962 (“the Rules”), sub-rule (1), sub-rule (5) and sub-rule (6) of rule 5CA of the Rules, clause (a) of sub-rule (1), sub-rule (5) and sub-rule (6) of rule 11AA of the Rules and clause (i) of sub-rule (1), sub-rule (5) and sub-rule (6) of rule 17A of the Rules, the Central Board of Direct Taxes hereby authorizes the Director of Income Tax(Centralized Processing Centre), Bengaluru and Commissioner of Income-Tax (Exemption), Bengaluru, for the following purposes, namely, -

- (i) for receiving applications for provisional registration or registration or provisional approval or approval or intimation in Form 10A under clause (i) of sub-rule (1) of rule 2C of the Rules, sub-rule (1) of rule 5CA of the Rules, clause (a) of sub-rule (1) of rule 11AA of the Rules or clause (i) of sub-rule (1) of rule 17A of the Rules;
- (ii) for passing order granting provisional registration or registration or provisional approval or approval in Form 10AC under sub-rule (5) of rule 2C of the Rules, sub-rule (5) of rule 11AA of the Rules or sub-rule (5) of rule 17A of the Rules.
- (iii) for issuing Unique Registration Number (URN) to the applicants under sub-rule (5) of rule 2C of the Rules, sub-rule (5) of rule 5CA of the Rules, sub-rule (5) of rule 11AA of the Rules or sub-rule (5) of rule 17A of the Rules.
- (iv) for cancelling the approval granted in Form 10AC and Unique Registration Number (URN) under sub-rule (6) of rule 2C of the Rules, sub-rule (6) of rule 5CA of the Rules, sub-rule (6) of rule 11AA of the Rules or sub-rule (6) of rule 17A of the Rules.

2. This amendment will come into effect from the date of Notification in the Official Gazette.

[Notification No. 30 /2021/F. No. 370142/4/2021-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy. (Tax Policy & Legislation Division)